

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह लैंगर,  
अनु सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,  
डी० चरण सिंह विश्वविद्यालय,  
मेरठ।

उच्च शिक्षा अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक: 24 जून, 2014

विषय:- महाविद्यालय संचालन हेतु सम्बद्धता की पूर्वानुमति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक: मे०वि०/सम्ब०/2014/666 दिनांक 01.5.2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन एस०डी०कालेज ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, भोपा रोड (मुजफ्फरनगर) को वाणिज्य संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर बी०बी०ए० (दो अतिरिक्त सैक्शन) पाठ्यक्रमों/विषयों में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन, संबंधित पाठ्यक्रम में लीजडीड की सत्यापित प्रति वांछित होने एवं नजरी नक्शा तहसीलदार से प्रमाणित वांछित होने के दृष्टिगत दिनांक 01.7.2014 से सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है :-

- (1) संस्था द्वारा उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2003 द्वारा मूल अधिनियम, 1973 की धारा-37(2) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
- (2) कतिपय संस्थानों/महाविद्यालयों के सशर्त सम्बद्धता/सम्बद्धता की पूर्वानुमति के निर्गत आदेशों में इंगित कमियाँ यथा- प्राभूत का नवीनीकरण, अग्निशमन प्रमाण पत्र का नवीनीकरण व एन०बी०सी० प्रमाण-पत्र सक्षम स्तर से निर्गत न होने की कमी का निराकरण किये जाने में यदि समय लगना सम्भावित हो तो विश्वविद्यालय उक्त महाविद्यालय के सम्बद्धता आदेश तत्काल निर्गत करते हुए उपरोक्त कमियों की पूर्ति से संबंधित अभिलेख महाविद्यालयों से एक माह में प्राप्त कर लेगा।

- (3) संस्थान/महाविद्यालय सशर्त सम्बद्धता/सम्बद्धता आदेश में इंगित कमियों की पूर्ति कर लेगा एवं विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
- (4) संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
- (5) यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय,

( सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर )

अनु सचिव।

संख्या-सम्ब0-332 (1)/सत्तर-2-2014, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- (2) क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, मेरठ।
- (3) सचिव/प्रबन्धक, एस0डी0कालेज ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, भोपा रोड (नुजफ्फरनगर)।
- (4) अपर सचिव, उच्च शिक्षा परिषद, इंदिरा भवन, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शन हेतु।
- (5) निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री (श्रीमती अनिता सिंह), उ0प्र0शासन।
- (6) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

( सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर )

अनु सचिव

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेगर,  
अनु सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,  
चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय,  
मेरठ।

लखनऊ: दिनांक: 24 जून, 2014

उच्च शिक्षा अनुभाग-2

विषय:- महाविद्यालय संचालन हेतु सम्बद्धता की पूर्वानुमति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक: मे०वि०/सम्ब०/2014/532 दिनांक 29.4.2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन एन०डी०कालेज ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, भोपा रोड (मुजफ्फरनगर) को विज्ञान सकार्यान्तर्गत स्नातक स्तर पर बी०सी०ए० (दो अतिरिक्त संकाय) पाठ्यक्रम/विषय में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन, खतौनी व लॉजिडॉड की प्रमाणित प्रति वांछित सिजरा, नजरी नक्शा व गाटों के संयुक्तता का तहसीलदार द्वारा प्रमाणित प्रति वांछित, शिक्षकों का बैंक के माध्यम से वेतन भुगतान का प्रमाण पत्र न होने, शिक्षकों का कार्यभार ग्रहण करने एवं नियुक्ति आवेदों का प्रमाण पत्र वांछित होने के दृष्टिकोण दिनांक 01.7.2014 से सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है :-

- (1) सरथा द्वारा उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2003 द्वारा मूल अधिनियम, 1973 की धारा-37(2) में प्रादिकीत परन्तुक के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
- (2) कतिपय संस्थानों/महाविद्यालयों के शर्त सम्बद्धता/सम्बद्धता की पूर्वानुमति के निर्गत आवेदों में इंगित कमियों तथा- प्राभूत का नवीनीकरण, अग्निशमन प्रमाण पत्र का नवीनीकरण व एन०डी०सी० प्रमाण-पत्र सक्षम स्तर से निर्गत न होने की कमी का निराकरण किये जाने में यदि समय लगना सम्भावित हो तो विश्वविद्यालय उक्त महाविद्यालय के सम्बद्धता आवेदों तत्काल निर्गत करते हुए उपरोक्त कमियों की पूर्ति से संबंधित अभिलेख महाविद्यालयों से एक माह में प्राप्त कर-लेगा।

- (3) संस्थान/महाविद्यालय शर्त सम्बद्धता/सम्बद्धता आदेश में इंगित कमियों की पूर्ति कर लेगा एवं विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
- (4) संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
- (5) यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिचयमावली, अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय,

( सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर )  
अनु सचिव।

संख्या-सम्ब0-235 (1)/सत्तर-2-2014, तददिनांक

- (1) प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- (2) निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- (3) क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, मेरठ।
- (4) सचिव/प्रबन्धक, एस0डी0कालेज ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, भोपा रोड (मुजफ्फरनगर)।
- (5) अपर सचिव, उच्च शिक्षा परिषद, इंदिरा भवन, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शन हेतु।
- (6) निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री (श्रीमती अनिता सिंह), उ0प्र0शासन।
- (6) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

( सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर )  
अनु सचिव

संख्या-3294/सत्तर-2-2008-2(184)/97

प्रेषक,

इन्द्रदेव पटेल,  
अनु सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,  
बी० चरण सिंह विश्वविद्यालय,  
मेरठ।

लखनऊ:दिनांक: 16 जुलाई, 2008

उच्च शिक्षा अनुभाग-2

विषय:-

महाविद्यालय संचालन हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक:सम्बद्धता/920, दिनांक 22 जून, 2007 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन एस०डी० कालेज ऑफ मैनेजमेण्ट स्टडीज, मुजफ्फरनगर को वी०वी०ए० (तीन वर्षीय) पाठ्यक्रम में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन सत्र 2007-08 से सम्बद्धता की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी है:-

- (1) संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
- (2) यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय,

(इन्द्रदेव पटेल)  
अनु सचिव।

संख्या-3294(1)/सत्तर-2-2008-तदुदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- (2) क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, मेरठ।
- (3) सचिव/प्रबन्धक, एस०डी० कालेज ऑफ मैनेजमेण्ट स्टडीज, मुजफ्फरनगर।
- (4) निजी सचिव, मा० उच्च शिक्षा मंत्री।
- (5) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(इन्द्रदेव पटेल)  
अनु सचिव।

राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश,  
लखनऊ-227132

संख्या-ई.स. 3421 /जीएस  
दिनांक: 17/5 /2007

प्रेषक. श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के अनु सचिव  
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,  
कुलसचिव,  
दौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय,  
मेरठ।

महोदय,  
आपके पत्रांक: सम्बद्धता/६१ दिनांक १५-०७-२००६ एवं पत्रांक: सम्बद्धता/०८ दिनांक १६-०४-२००७ के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम कुलाधिपति महोदय ने उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-१९७३ की धारा-३७ (२) के अधीन एस०डी० कालेज ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, मुजफ्फरनगर को बी०सी०ए० पाठ्यक्रम में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक ०१-०७-२००६ से सम्बद्धता की स्विकृति सहर्ष प्रदान कर दी है:-

१- संस्था उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-२८५१/सत्तर-२-२००३-११ (६२)/२००२, दिनांक २ जुलाई २००३ में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर इस विषय में निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।

२- यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-१९७३ के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जान की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय.

( विजय कुमार सिंह )  
कुलाधिपति के अनु सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- १- सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- २- निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
- ३- प्रबन्धक/प्राचार्य, एस०डी० कालेज ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, मुजफ्फरनगर।

( विजय कुमार सिंह )  
कुलाधिपति के अनु सचिव

